		Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including Short term Contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- Secretary, Union Public Service Commission - Chairman; Additional Secretary (In-charge of Administration Branch) , Union Public Service Commission - Member; Additional Secretary (In-charge of Examination Reforms Branch), Union Public Service Commission - Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** Secretary, Union Public Service Commission - Chairman; Additional Secretary (In-charge of Administration Branch) , Union Public Service Commission - Member; Additional Secretary (In-charge of Examination Reforms Branch), Union Public Service Commission - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary in making direct recruitment and while appointing an officer on deputation (including short term contract).

[F.No. 39021/02/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

Foot Note : The Principal Rules were published vide notification number G.S.R. 51, dated the 19th February, 2013 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 23rd February, 2013.

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

सा.का. नि. 123.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) भर्ती नियम, 2013 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) भर्ती (संशोधन नियम), 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) भर्ती नियम,2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है।), नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. उक्त नियमों में, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण)	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिविय	स्तर-12 (रू. 78800-209200)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी(अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 की श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्लेषण योग्यता, डाटा निर्वचन, सांख्यिकी डाटा, संग्रह और विश्लेषण में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो । **टिप्पण** 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसे अर्हत या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हत या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हत या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** (अल्पकालिक संविदा सहित); केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : **(क)** (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हुआ है या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक में स्तर-।। में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और **(ख)** जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) सांख्यिकी या संक्रिया अनुसंधान या गणित या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी या अनुप्रयुक्त गणित या गणितीय सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या सांख्यिकी या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या वाणिज्य में मास्टर डिग्री, और (ii) दस वर्ष का अध्ययन या अनुसंधान का अनुभव जिसके अंतर्गत शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन या परीक्षा सुधार या परीक्षा का सांख्यिकी विश्लेषण या भर्ती आंकड़ा का मंत्रीय सामग्री का विकास या तैयारी या वस्तुनिष्ठ प्रकार की कार्यसिद्ध या अभिवृत्ति परीक्षण की रचना और उससे संबद्ध क्षेत्रों में अनुभव भी सम्मिलित है। **टिप्पण 1** :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने

के पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 3. अपर सचिव (परीक्षा सुधार शाखा का भार साधक) - सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	जब प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करना हो तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है (अल्पकालिक संविदा सहित)।

[फा.सं. 39021/02/2018-स्था. (बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग- II, खंड-3, उपखंड (i), तारीख 29 अक्टूबर, 2013 में अधिसूचना सख्यांक सा.का.नि. 249, तारीख 02 नवम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

New Delhi, the 9th May, 2019

G.S.R. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission, Joint Director (Research, Statistics and Analysis) Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Joint Director (Research, Statistics and Analysis) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission, Joint Director (Research, Statistics and Analysis) Recruitment Rules, 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules." .

3. In the said Rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Joint Director (Research, Statistics and Analysis)	01* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A' Gazetted, non-Ministerial	Level 12 (Rs.78800-209200)	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By Promotion failing which by Deputation (including short term contract).	**Promotion:** Senior Research Officer (Research, Statistics and Analysis) in Level 11 in the pay matrix with five years' regular service in the grade and having completed successfully training on Analytical abilities, Interpretation of Data, Statistical Data, collection and analysis from a recognised Institute. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level 11 in pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Masters degree in Statistics or Operation Research or Mathematics or Applied Statistics or Applied Mathematics/ Mathematical Statistics or Masters degree in Economics or Sociology or Psychology or Commerce with Statistics; and (ii) ten years' teaching or research experience including experience in educational measurement or evaluation or examination reforms or statistical analysis of examination or recruitment data or development or preparation of instrumental materials or construction of objective type achievement or aptitude test and related areas. **Note 1**: Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman Secretary, Union Public Service Commission - Member Additional Secretary (In-charge of Examination Reforms Branch), Union Public Service Commission - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

[F.No. 39021/02/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

Foot Note.-The Principal rules were published vide notification number G.S.R. 249, dated the 29th October, 2013 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 2nd November, 2013.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 8 मई, 2019

सा.का.नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, **पुस्तकालय और सूचना सहायक** भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में पुस्तकालय और सूचना सहायक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:**--**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, **पुस्तकालय और सूचना सहायक** भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-